



100

## समक्ष न्यायालय—सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर

निगमन-6142/2018/छिंदवाडा/भू.२०

अनुराग मोहन वर्मा पिता स्व.डॉ.प्रकाशचंद्र वर्मा, उम्र करीब 44 वर्ष  
निवासी- फ्लैट नं. 302, ब्लॉक नं. 9, फाइन इन्क्लैब अपार्टमेन्ट  
कोलार रोड, भोपाल - 462042

..... पुनरीक्षणकर्ता

सर्वेक्षण विवेक 5  
10-10-18  
30-10-18  
वकास  
10-10-18

विरुद्ध

1. राजेश वर्मा पिता स्व.डा. आर.पी.वर्मा, उम्र करीब 67 वर्ष  
निवासी- मोहन नगर, वार्ड कं. 20 नार्थ सिविल लाईन  
स्टेट बैंक रोड, छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा
2. श्रीमती रेणु वर्मा पति स्व.डॉ.प्रकाशचंद्र वर्मा, उम्र करीब 74 वर्ष
3. आनंद मोहन वर्मा पिता स्व.डॉ.प्रकाशचंद्र वर्मा, उम्र करीब 50 वर्ष  
दोनों निवासी- मोहन नगर, वार्ड कं. 20 नार्थ सिविल लाईन  
स्टेट बैंक रोड, छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा
4. विवेक मोहन वर्मा पिता स्व.डॉ.प्रकाशचंद्र वर्मा  
निवासी- A/23 Florentine Near Sopan Baug  
off. B.T. Kawade Road पुणे (महाराष्ट्र) 411001
5. सुरेशचन्द्र वर्मा पिता स्व.डॉ. आर.पी.वर्मा, उम्र करीब 72 वर्ष  
निवासी- स्टेट बैंक रोड, नार्थ सिविल लाइन, छिंदवाड़ा  
तहसील व जिला छिंदवाड़ा

.....उत्तरवादीगण

Satendra Singh Bhowar  
Ad.  
10.10.2018

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

राजस्व प्रकरण क्रमांक 34/अ-6/16-17 मौजा छिंदवाड़ा खास, तहसील व जिला छिंदवाड़ा पक्षकार राजेश विरुद्ध रेणु न्यायालय नजूल अधिकारी, छिंदवाड़ा के आदेश दिनांक 23/07/2018 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

### पुनरीक्षण के तथ्य


1. यह कि, विद्वान कनिष्ठ न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी कं0-1 के द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 04/10/2008 के आधार पर छिंदवाड़ा खास में स्थित नजूल ब्लॉक नंबर 55, प्लॉट क्रमांक 16 रकबा 65994 वर्गफिट भूमि के संबंध में मृतक स्व.सुभाषचंद्र वर्मा की तथाकथित रूप से 1/4 हक व हिस्से की वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक कं0-4 के द्वारा आदेश 7, नियम 11 व्य0प्र0सं0 का आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी।

2. यह कि, उक्त आवेदन में पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उल्लेखित किया गया था कि मूल खसरे का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि स्व.प्रकाशचंद्र वर्मा की फौती दर्ज नहीं हुई है एवं आवेदक/उत्तरवादी कं0-1 का नाम पूर्व से खसरे में दर्ज चला आ रहा है एवं उक्त खसरे में किसी भी रूप में समस्त खातेदार के अंश

Mohar

**न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर**  
**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**  
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-6142/2018/छिंदवाडा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-01-19	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में तहसीलदार तहसील छिंदवाडा जिला छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 34/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23.7.18 के विरुद्ध निगरानी म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशोधन अनुसार तहसीलदार तहसील छिंदवाडा जिला छिंदवाडा द्वारा पारित अतिरिक्त आदेश दिनांक 23.7.18 के विरुद्ध सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशोधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर जिला छिंदवाडा के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर जिला छिंदवाडा की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है।</p> <p>पक्षकार दिनांक 9.3.19 को कलेक्टर छिंदवाडा के समक्ष उपस्थित रहे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर छिंदवाडा</u></p>	